उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्याः 3051–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2012–20–मा0सं0–01/2005 दिनांक : 25 जुलाई, 2012

कार्यालय ज्ञाप

निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0: 2228–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2012–20–मा0सं0–01/2005 दिनांक 08–06–2012 द्वारा चयन वर्ष 2003–04, वर्ष 2004–05 तथा वर्ष 2005–2006 में सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता सूची अनन्तिम (Tentative) रूप से घोषित करते हुए 15 दिन में आपत्तियाँ आमन्त्रित की गई थीं।

2– लेकिन इस तिथि के पूर्व ही सर्वश्री संजीव यादव, राजीव कुमार, प्रभात कटियार, विकास आनन्द, वीरेन्द्र कुमार, देव कान्त तथा विकास सिंह ने मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में उक्त अनन्तिम वरिष्ठता सूची को निरस्त करने हेतु याचिका सं0: 922/2012 दाखिल की। उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21–06–2012 को पारित अन्तिम आदेश का प्रभावी अंश अधोउद्धृत है :–

> "Since seniority list has yet been finalized, we are not inclined to interfere in the matter, therefore, we hereby dispose of the writ petition finally with liberty to the petitioners to file objection against the seniority list, which shall be considered and disposed of by a reasoned and speaking order."
>
> Sd/- Shri Narayan Shukla, J.
> Sd/- Surendra Vikram Singh Rathore, J.

3– श्री विकास सिंह, श्री प्रभात कटियार, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री देव कान्त, श्री संजीव कुमार यादव तथा श्री विकास आनन्द ने मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के सन्दर्भ में आपत्तियाँ प्रस्तुत की हैं। यह आपत्तियाँ 22–06–2012 दिनांकित हैं, लेकिन निगम में वह दिनांक 25–06–2012 को प्राप्त हुई हैं। मा0 उच्च न्यायालय के उपःउद्धृत आदेशों के समादर में इन आपत्तियों को सम्यक् विचारोपरान्त युक्तियुक्त एवं मुखरित रूप से अधोवत् निस्तारित किया जाता है।

4– उपरोक्त प्रस्तर 3 में वर्णित आपत्तिकर्ताओं ने अपनी आपत्तियों में प्रमुख रूप से निम्नलिखित अभिकथन किये हैं :–

(1) यह कि प्रार्थीगण की सहायक अभियन्ता (ई0एण्डएम0) के पद पर ज्येष्ठता के निर्धारण हेतु निगम द्वारा दिनांक 14.11.2005 को एक अनन्तिम सूची जारी करके आपत्तियाँ मांगी गयी थीं।

(2) यह कि प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त सहायक अभियन्ता (ई0एण्डएम0) की अन्तिम वरिष्ठता सूची प्रार्थीगण को चयन वर्ष 2003–04 में नियुक्त मानते हुए दिनांक 26.11.2005 को जारी की गयी थी। अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 26.11.2005 में वर्णित है कि "वर्ष 2003–04 एवं 2005 में प्रोन्नत/सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता" के अन्तर्गत प्रार्थीगण की ज्येष्ठता निर्धारित करते हुए प्रार्थीगणों को क्रमांक संख्या 47, 109, 111, 116, 127 तथा 132 पर ज्येष्ठता निर्धारण की गयी है।

(3) यह कि उपरोक्त अन्तिम वरिष्ठता सूची निर्विवादित रूप से 07 वर्षों तक प्रभावी रही है तथा वरिष्ठता सूची 2005 के आधार पर प्रोन्नतियाँ भी हो चुकी हैं।

(4) यह कि प्रार्थीगण की ज्येष्ठता निगम द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली 1998 द्वारा शासित होती रही है जिसमें चयन वर्ष की परिभाषा दी गयी है तथा चयन वर्ष का तात्पर्य (वर्ष के 01 जुलाई से 30 जून तक वर्णित है) उपरोक्त नियमावली के अनुसार निर्विवादित रूप से प्रार्थीगण ने प्रशिक्षणोपरान्त अन्तिम संवीलियनीकरण परीक्षा चयन वर्ष 2003–04 की समाप्ति के पूर्व ही

उत्तीर्ण कर ली थी तथा एक औपचारिक आदेश नियमानुसार जारी किया जाना था। चूँकि संवीलियन परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक 16.06.2004 को मुख्यालय को प्रेषित किया जा चुका था और प्रार्थीगण के औपचारिक नियुक्ति आदेश माह जून, 2004 में ही जारी हो सकते थे परन्तु प्रार्थीगण के नियुक्ति आदेश 06 दिवस पश्चात दिनांक 06 जुलाई 2004 को जारी किये गये।

(5) यह कि निगम द्वारा बैच 2008–09 एवं 2010–11, उनके प्रशिक्षणोपरान्त अन्तिम संवीलियनीकरण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात यद्यपि नियुक्ति पत्र आदेश बाद की तिथि में किये गये हैं तथापि उनकी नियुक्ति की तिथि संवीलियन परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही अर्थात पूर्व की तिथि से जारी किये गये हैं। जैसा कि वर्ष 2009 में नियुक्त सहायक अभियन्ताओं हेतु आदेश 30 जून 2009 को जारी हुए हैं परन्तु नियुक्ति की तिथि 01.06.2009 दर्शायी गयी है। इसी प्रकार वर्ष 2010–11 में नियुक्त सहायक अभियन्ताओं का नियुक्ति पत्र यद्यपि 23.02.2011 को निर्गत किया गया है परन्तु नियुक्ति की तिथि 01.10.2010 से दर्शायी गयी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नियुक्ति की तिथि का निर्धारण प्रशिक्षणोपरान्त अन्तिम संवीलियनीकरण परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर तथा उत्पादन निगम लिमिटेड में मौलिक नियुक्ति के संदर्भ में तथा उसमें वर्णित सेवा शर्तों के अधीन निर्धारित किये जाने का नियम है।

(6) यह कि ऐसा प्रतीत होता है कि त्रुटिवश दिनांक 06.07.2004 को निर्गत नियुक्ति पत्र में प्रशिक्षणोपरान्त अन्तिम संवीलियनीकरण परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार एवं नियुक्ति पत्र में वर्णित शर्तों को अनदेखा करते हुए नियुक्ति पत्र में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अंकित कर दिया गया है।

(7) यह कि प्रार्थीगण ने अलग–अलग उपरोक्त नियुक्ति पत्र दिनांक 06.07.2004 की विसंगतियों की तरफ ध्यानाकर्षण कराते हुए उसमें सुधार करने का प्रार्थना पत्र दिया है।

(8) यह कि प्रार्थीगण की परीक्षोपरान्त अन्तिम संवीलियनीकरण परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर नियुक्ति पत्र में वर्णित सेवा शर्तों पर विचारोपरान्त प्रार्थीगण को चयन वर्ष 2003–04 का मानते हुए ज्येष्ठता वर्ष 2005 में निर्धारित कर दी गयी थी।

(9) यह भी उल्लेखनीय है कि रिट याचिका संख्या–217 (एस0बी0) 2011–सुशील सिंह व अन्य बनाम् उ0प्र0 सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.02.2011 द्वारा मात्र यह आदेश पारित किया गया है कि याचीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदनों पर विचार करते हुए मुखरित आदेश द्वारा प्रत्यावेदन का निस्तारण 6 सप्ताह में किया जाये।

(10) यह कि मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 11.02.2011 में यह नहीं कहा है कि प्रार्थीगण की वरिष्ठता जो चयन वर्ष 2003–04 में नियुक्ति मानते हुए निर्धारित की गयी है वह गलत है तथा अन्तिम वरिष्ठता सूची समाप्त कर नये सिरे से बनायी जाये। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि "Accordingly, without entering into the merit of the controversy, the writ petition is finally disposed of directing the respondents/competent authority to look into the matter and take a decision on the petitioner's representation in accordance with rules by passing a speaking and reasoned order expeditiously and preferably within a period of six weeks from the date of receipt of a cerified copy of this order and communicate the decision to the petitioner."

(11) यह कि ज्येष्ठता नियमावली 1998 में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि एक बार अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात अन्तिम वरिष्ठता सूची नियमानुसार जारी करने के पश्चात, उसके विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों के आधार पर एक कमेटी बनाकर अन्तिम वरिष्ठता सूची को निरस्त कर नये सिरे से ज्येष्ठता सूची तैयार की जाये। ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक दबाव के कारण मनमाने ढंग से अन्तिम वरिष्ठता सूची को समाप्त करके प्रार्थीगण की वरिष्ठता जो कि वर्ष 2005 में निर्धारित की जा चुकी है उसके साथ छेडछाड कर कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से दूसरी अनन्तिम सूची जारी की गयी।

(12) यह कि दिनांक 08.06.2012 को अनन्तिम रूप से जारी वरिष्ठता सूची में प्रार्थीगण को चयन वर्ष 2003–04 के स्थान पर वर्ष 2004–05 माना जा रहा है जो कि नियम विरूद्ध है।

(13) यह कि निर्विवादित रूप से प्रार्थीगण ने संविलियनीकरण परीक्षा दिनांक 16 जून, 2004 को उत्तीर्ण कर ली थी तथा एक औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी होने थे जिसके लिए निगम के पास दो सप्ताह का समय उपलब्ध था। आदेश देर से निर्गत होने में प्रार्थीगण का कोई दोष नहीं है और यदि प्रशासन का दोष है तो वह उसके लिए प्रार्थीगण के हितों को अनदेखा करके उसकी वरिष्ठता को न देने से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "Pilla Sitaram Patrudu Vs. Union of India 1997 (1) AWC Page No. 75 (Supreme Court)" में यह व्यवस्था दी है कि अगर प्रशासन की लापरवाही की वजह से देरी से नियुक्ति आदेश जारी किये जाते हैं तो याचीगण अपनी वरिष्ठता के हकदार होंगे तथा उन्हें वरिष्ठता देने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

5– उपरोक्त आपत्तियों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए बिन्दुवार स्थिति/निष्कर्ष निम्नवत् हैं :–

बिन्दु संख्या 1, 2 एवं 8

यह सत्य है कि पूर्व में आपत्तिकर्ताओं की अन्तिम वरिष्ठता सूची कार्यालय ज्ञाप सं0: 2666–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2005 दिनांक 26–11–2005 के संलग्नक–2 (पृष्ठ 3 के नितल से पृष्ठ 11 तक) द्वारा घोषित हुई थी। उक्त ज्येष्ठता सूची का शीर्षक, **"वर्ष 2003–2004 एवं 2005 में प्रोन्नत/सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता"** था। मात्र इस शीर्षक के आधार पर यह तर्क देना कि आपत्तिकर्ता चयन वर्ष 2003–2004 में नियुक्त हुए थे, न कि 2004–2005 में, मिथ्याधारित (misconceived) है, क्योंकि इस सूची में यह स्पष्टतया उल्लिखित ही नहीं है कि कौन किस चयन वर्ष में प्रोन्नत/सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त तथ्यों से बेमेल किसी उल्लेख की कोई सार्थकता नहीं होती है। उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली के संगत प्राविधानों के अनुसार सेवा संवर्ग में नियुक्ति का पद "सहायक अभियन्ता" होता है, न कि "सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु)"। निगम में सहायक अभियन्ता (ई0एण्डए0) की ज्येष्ठता उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली, 1970 तथा सपठित उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1998 से विनियमित होती है। उक्त विनियमावली के अन्तर्गत ज्येष्ठता अवधारण का मूल सिद्धान्त सेवा के संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता की देयता का है। यह एक तथ्य है कि आपत्तिकर्ताओं की सहायक अभियन्ता पद पर मौलिक नियुक्ति कार्यालय ज्ञाप सं0 3131–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2004 दिनांक 06–07–2004 द्वारा हुई थी। अर्थात् उनकी नियुक्ति चयन वर्ष 2004–2005 (दिनांक 01–07–2004 से दिनांक 30–06–2005) मे मध्य हुई थी। अतः पुरानी ज्येष्ठता सूची के शीर्षक **"वर्ष 2003–2004 एवं 2005 में प्रोन्नत/सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता"** के आधार पर उन्हें न तो चयन वर्ष 2003–2004 में नियुक्त माने जाने, और न ही तदनुसार ज्येष्ठता दिये जाने का अधिकार मिल जाता है।

बिन्दु संख्या 3

कार्यालय ज्ञाप सं0: 2666–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2005 दिनांक 26–11–2005 के संलग्नक–2 (पृष्ठ 3 के नितल से पृष्ठ 11 तक) द्वारा घोषित वरिष्ठता सूची के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी को अधिशासी अभियन्ता पद पर पदोन्नति नहीं दी गई है।

बिन्दु संख्या 4, 6, 7 एवं 13

आपत्तिकर्ताओं की सेवायें उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम में यथा प्रयोज्य उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली, 1970 तथा समय–समय पर निर्गत प्रशासकीय आदेशों से आवरित होती हैं। उक्त नियमावली तथा प्रशासनिक आदेशों में यह कहीं भी प्राविधान नहीं है कि सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) को प्रशिक्षणोंपरान्त अन्तिम संविलयन परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि को/से अनिवार्य रूप से सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्त कर दिया जायेगा। अन्तिम संविलयन परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने पर उक्त परीक्षा परिणाम के आधार पर सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्त करने, तैनाती स्थल आदि निर्णीत

कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने तथा तदोपरान्त नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रशासनिक प्रक्रिया में समय लगना स्वाभाविक है। आपत्तिकर्ताओं का संविलीनीकरण परीक्षा परिणाम निगम में दिनांक 17–06–2004 को प्राप्त हुआ था। प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद नियुक्ति आदेश, निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0 3131–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2004 दिनांक 06–07–2004 द्वारा जारी किये गये। अतः नियुक्ति आदेश जारी करने में कोई अयुक्तियुक्त विलम्ब नहीं लगा। आपत्तिकर्ताओं ने सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्ति तिथि में संशोधन करने सम्बन्धी कोई प्रार्थना पत्र तत्समय नहीं दिया। प्रसंगवश यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2000–2001 में नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की अन्तिम संविलयन परीक्षा का परिणाम दिनांक 12–02–2002 को प्राप्त हुआ था लेकिन सहायक अभियन्ता पद पर उनके नियुक्ति आदेश कार्यालय ज्ञाप सं0 : 997–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2002 दिनांक 15–05–2002 को निर्गत हो पाये थे। निष्कर्षतः आपत्तिकर्ताओं को अन्तिम संविलयन परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से न तो सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्त माना जा सकता है, और न ही इस कल्पित तिथि के आधार पर उन्हें वरिष्ठता दी जा सकती है। यह एक तथ्य है कि आपत्तिकर्ताओं की सहायक अभियन्ता पद पर मौलिक नियुक्ति कार्यालय ज्ञाप सं0 3131–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2004 दिनांक 06–07–2004 द्वारा हुई थी। अतः वह चयन वर्ष 2004–2005 में नियुक्त हुए हैं तथा उनकी वरिष्ठता भी तदनुसार निर्धारित की गई है।

बिन्दु संख्या 5

पूर्ववर्ती परिषद तथा उत्पादन निगम में सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्ति के आदेश अन्तिम संविलयन परीक्षा परिणाम प्राप्त होने एवं आवश्यक औपचारिकतायें/प्रक्रियायें पूरी करने के पश्चात् जारी होते थे तथा नियुक्ति इन आदेशों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाती थी। आपत्तिकर्ताओं के बैच तथा उसके पूर्व के बैचों में सहायक अभियन्ता पद पर मौलिक नियुक्ति तदनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की गई। तथापि वर्ष 2009 से यह प्रक्रिया अपनायी जाने लगी है कि सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्तियॉ एक निर्दिष्ट तिथि से की जायें। वर्ष 2009 में प्रारम्भ की गई प्रक्रिया को आपत्तिकर्ताओं के बैच के लिए लागू कराने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है।

बिन्दु संख्या 9, 10 एवं 11

आपत्तिकर्ताओं द्वारा इन बिन्दुओं में निकाले गये निष्कर्ष एवं लगाये गये आरोप सही नहीं हैं। निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0: 2666–मा0सं0–01/ वि0उ0नि0लि0/2005 दिनांक 26–11–2005 के संलग्नक–2 (पृष्ठ 3 के नितल से पृष्ठ 11 तक) द्वारा निर्गत अपूर्ण (incomplete) एवं दोषपूर्ण वरिष्ठता सूची के स्थान पर नई वरिष्ठता सूची निर्गत करने सम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियॉ एवं कारण कार्यालय ज्ञाप सं0: 2228–मा0सं0–01/विउनिलि/2012 दिनांक 08–06–2012 (जिससे प्रश्नगत् अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी हुई है) के प्रस्तर 1 से 5 में उल्लिखित हैं। वह कारण सुस्पष्ट, सारवान, अत्यन्त सबल तथा ठोस हैं। उन कारणों की यहॉ पर पुनरूक्ति करने की कदाचित् आवश्यकता नहीं है। आपत्तिकर्ता कृपया इनका अनुशीलन कर लें।

बिन्दु संख्या 12

सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता का निर्धारण उसकी मौलिक नियुक्ति की तिथि के क्रम में उसकी मेरिट के अनुसार किया जाता है। आपत्तिकर्ताओं की सहायक अभियन्ता पद पर मौलिक नियुक्ति कार्यालय ज्ञाप सं0 3131–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2004 दिनांक 06–07–2004 द्वारा हुई थी। अतः प्रश्नगत् वरिष्ठता सूची में उन्हें चयन वर्ष 2004–2005 में नियुक्त, सही रूप से दर्शित किया गया है।

6– प्रश्नगत् आपत्तियॉ उपरोक्तानुसार निस्तारित/अस्वीकृत की जाती हैं।

धीरज साहू
प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 3051(I)–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2012 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीन तैनात सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को उपरोक्तानुसार सूचित कर दें :–

1– मुख्य अभियन्ता, ओबरा/अनपरा/पनकी/पारीछा/हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजनायें, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0।

2– मुख्य अभियन्ता (कारपोरेट स्ट्रेटजी), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

3– मुख्य अभियन्ता (स्तर–I)/(स्तर–II), पी0पी0एम0एम0/वाणिज्य/ईंधन/तापीय परिचालन/आर0एण्डएम0/जानपद/पर्यावरण एवं सुरक्षा, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

4– मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

5– उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता, (मा0सं0–03)/(संसदीय कार्य), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

6– सम्बन्धित अधिकारी/कट फाइल।

आज्ञा से,

(एच0पी0 वर्मा)
उप महाप्रबन्धक (मा0सं0–01)